भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 146**
(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)
**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु निधियों का प्रवाह**

**146. श्री हुसैन दलवईः**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के आकलन प्रतिवेदन में डी.आर.डी.ए. द्वारा ठेकेदारों को धनराशि जारी करने में देरी को नोट किया गया है जिसकी वजह से निर्माण कार्य की समयबद्धता बाधित होती है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्माण कार्य संबंधी कोष को सीधे कार्य विभाग के अधीन ही रखने की सिफारिश पर गौर किया है; और

(घ) ग्रामीण सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता के अनुवीक्षण के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' )**

(क) से (ग): प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निधियां राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों को सौंपी जाती हैं । पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियां पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन की गति, खर्च करने का स्तर तथा राज्य के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि को ध्यान में रखते हुए रिलीज की जाती हैं।

(घ): सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों की है। तदनुसार, राज्य सरकारें गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयां स्थापित करती है तथा इनके द्वारा शामिल किए गए राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता आवधिक निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त, निगरानी के लिए औचक आधार पर कुछ सड़क कार्यों का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को शामिल किया गया है।

*****